

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
अपील संख्या-23/2015



1-कैलाश पुत्र गुलाब/मखन पुत्र गुलाब/मुकेश पुत्र गुलाब/सुरेश पुत्र गुलाब/सायर पुत्र गुलाब.जाति बंजारा निवासी बगडावा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

—बनाम—

तहसीलदार नीमकाथाना भूमिधारी सीकर

—रेस्पोंडेंट—

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक
22.8.2001 द्वारा अपर जिला
कलेक्टर सीकर।

—0—

उपस्थिति—

- 1-श्री बजरंग सिंह शेखावत ऐडवोकेट-अपीलान्ट
- 2-श्री पोकरमल राजकीय अधिवक्ता-रस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक- 23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोंडेंट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र भू-आंवटन निरस्त करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बगडावा में आराजी ख0नं0-591/1/1 में से 0.56 हैक्टर का आंवटन दिनांक 19-6-1999 को बीरबल पुत्र सरदारा बंजारा को किया गया जो नियम विरुद्ध किया गया है जिसे निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आंवटन आदेश को निरस्त कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। विवादित आराजी कभी भी गैरमुमकीन पहाडियां नहीं रही है उक्त आराजी सदैव ही काश्त की रही है जो सदैव ही काश्त के काम में आती रही है। उक्त आराजी आवंटन के समय बारानी दर्ज रही है। इसके बाद यह आराजी किस आदेश से गैरमुमकीन पहाडिया दर्ज की गई स्पष्ट नहीं है। अपीलान्ट को जिस समय यह आराजी आवंटन की गई उस समय यह आराजी आवंटन योग्य रही है। जो नियमानुसार सभी नियमों की पालना कर आवंटित की गई है। आवंटन से पूर्व सलाहकार समिति ने कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम-7 क ख की पूर्ण पालना की थी तथा आवंटन आदेश से पूर्व प्रार्थना पत्र आमन्त्रित कर अधिसूचना जारी कर नियमानुसार आवंटन किया गया है। रेस्पोजेन्ट तहसीलदार अलाटमेन्ट कमेंटी का सदस्य है जिसने आवंटन के समय आवंटन की सिफारिस कर अपने हस्ताक्षर किये है अब रेस्पोजेन्ट तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र विधि के विपरित पेश किया है। जिस पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये अपना आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है। आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है जब आवंटी ने फ़ाड अथवा मिस रिप्रेजन्टेशन से आवंटन प्राप्त किया हो। पत्रावली पर ऐसर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हुये भी अदालत मातहत ने अपना आदेश साक्ष्यों के विपरित पारित किया है। आवंटन के उपरान्त कानूनन तकनीकी खामियों के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि विधि के अनुसार टेक्नीकल फारमल्टीज की पालना सक्षम अधिकारियों को आवंटन के समय देखनी चाहिये थी तहसीलदार ने आवंटन आदेश को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र विधि के विपरित पेश किया है जिस पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये अपना आदेश पारित किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित आराजी का आवंटन नियमों की पालना करते हुये किया गया है। आवंटन के बाद विवादित




 जिलाधिकारी एवं
 सहायक सचिव
 सोनभद्र

आराजी का राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जा चुका है जिसकी जमाबन्दी सं०-2057 से 2060 मैने पेश की है जिसमें गैर खातेदारी का नोट दर्ज कर दिया गया। यह अंकन भी तहसीलदार द्वारा किया गया है अब तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र नियमों के विपरित पेश किया है जिस पर अदालत मातहत ने नियमों की अनदेखी कर आदेश पारित किया है। बहस के समर्थन में कानूनी नजीर आर आर डी 1973 पेज- 800 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।



विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित दिया है विवादित आराजी की किस्म गैर मु० पहाड़ दर्ज है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता। यह आराजी राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-16 में वर्जित है जिसका न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। भू-आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन के पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियमों की कोई पालना न कर आवंटन किया है जो नियमों के विपरित है। आवंटन की अधिसूचना 15 दिन पूर्व जारी की जानी चाहिये किन्तु भू-आवंटन सलाहकार समिति ने इस अवधि को घटाकर केवल-7 दिन कर दिया जो आवंटन नियमों के विपरित है। अदालत मातहत ने अपना आदेश सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।


बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटित भूमि की किस्म गै० मु० पहाड़ दर्ज है। गै० मु० पहाड़ राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्जित (प्रतिबन्धित) भूमि है। जिसका न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। आवंटन से पूर्व आवंटन राज० भू-राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई। आवंटन बंजारा जाति के सदस्यों को की गई है। जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं किन्तु गै० मु० पहाड़ का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता विद्वान वकील अपीलान्ट ने कानूनी नजीर आर आर डी 1973 पेज 800 पेश की है उसमें आराजी की किस्म भिन्न है इसमें आराजी आवंटन योग्य है। इस कारण प्रस्तुत नजीर के

पञ्च-प्रमुख अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर

तथ्य भिन्न होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 22.08.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया।


(भंबुरलाल मेहरडा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

